स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 322, दिनांकः 02–11–2024

लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना एवं थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2024 में वांछित रू0 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक : 02–11–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना एवं थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2024 धारा 310(2), 317(2), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस में वाँछित रू0 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि सिंह उर्फ राम समुझ उर्फ भोर सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> :–

रवि सिंह उर्फ राम समुझ उर्फ शैश सिंह पुत्र महेश सिंह निवासीग्राम जमालापुर, थाना रामपुर, जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u> :–

1. एक अदद आधार कार्ड।
2. दो अदद एटीएम कार्ड (यूनियन बैंक)।
3. एक अदद पैनकार्ड।
4. एक अदद डीएल।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u> :–

शिवसतपुल थानाक्षेत्र दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़। दिनांकः 02–11–2024 समयः 16.10 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री विनय तिवारी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, अजय सिंह यादव, संतोश कुमार व आरक्षी किशन चन्द्र, आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम दि0 02–11–2024 को जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि दिनांकः 28–07–2024 को थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 135/2024 धाराः 140(4), 309(4)/123 बीएनएस पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचनोपरान्त अभियोग में उक्त धारा का लोप करते हुए जुर्म धाराः 310(2), 317(2), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस का अपराध होना पाया गया, जिसमें यह वांछित था तथा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। यह अपराधी शिवसतपुल थानाक्षेत्र दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त रवि सिंह उर्फ राम समुझ उर्फ शैश सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि ट्रक यूपी–96–टी–1675 का चालक/वाहन स्वामी मो0 इरफान पुत्र मो0 इलियास निवासीग्राम कुटिलिया साड़देयी, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने ट्रक पर एफ0सी0आई0 मार्का की लगभग 500 गेहूँ की बोरी को लोडकर हैदराबाद प्रान्त ले जाना था, परन्तु उक्त वाहन चालक/स्वामी एवं मैं तथा मेरे बहनोई कुलदीप सिंह पुत्र कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना निवासीग्राम गोपालापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ एवम उनके मित्र बंटी तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासीग्राम सुभाषपुर पाली, थाना मडियाहूँ,जनपद जौनपुर, इम्तियाज उर्फ कल्लू पुत्र मोहसिन निवासीग्राम कुटिलिया, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, बृजेश उर्फ पिन्टू शर्मा पुत्र दयाशंकर शर्मा निवासीग्राम मिसिद्दीपुर, थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ व शमशाद पुत्र मुस्तफा उर्फ कुचुरी निवासीग्राम मुन्नी का पुरवा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ वर्तमान पता पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आपस में मिलकर षड़यन्त्र कर गेहूँ की बोरियों को गबन करने की योजना बनायी थी। इरफान व इम्तियाज उर्फ कल्लू ने सितान्सू गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता निवासी बाबूगंज बाजार, थाना कुण्डा प्रतापगढ़ से 500 बोरी गेहूँ लाद कर विजय रोलर फ्लोर मिल हैदराबाद पहुँचाने हेतु दि0 20–07–2024 को रात्रि में बाबूगंज कुण्डा से चित्रकूट के रास्ते से निकला था, परन्तु हम लोगों द्वारा पूर्व से सुनियोजित योजना के क्रम में मो0 इरफान व इम्तियाज उर्फ कल्लू बताये हुए रास्ते से हैदराबाद न जाकर 02 दिन तक उक्त ट्रक को मय माल सहित अपने घर कुटिलिया गांव जेठवारा में खड़ा कर दिया और वहीं पर कुछ गेहूँ की बोरियॉ उतार कर रख लिया। हमारे द्वारा योगेश दुबे पुत्र राजकुमार दुबे निवासीग्राम नाहरपुर, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर के बरसठी स्थित गोदाम में लूटे गये माल को छिपाने के लिए किराये पर लिया गया था। कुलदीप सिंह व उसके साथी रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा से बचने के लिए उससे पहले निकले हुए रास्ते से ट्रक का नम्बर प्लेट हटाकर दि0 23–07–2024 को समय करीब 6–7 बजे बरसठी गोदाम पहुँचे। मेरे व बंटी तिवारी उपरोक्त की मदद से कुलदीप सिंह, शमशाद, बृजेश उर्फ पिन्टू शर्मा व इम्तियाज उर्फ कल्लू सभी लोग ट्रक पर लदे हुए गेहूँ की बोरी को उक्त गोदाम पर उतरवाने लगे। हम लोगों द्वारा गोदाम में करीब 350 से 400 गेहूँ की बोरी उतारा ही था कि स्थानीय लोगों के विरोध करने पर शेष बची गेहूँ की बोरी को ट्रक सहित लेकर भाग गये। माल फंस जाने के कारण हम लोगों ने अपने आपको बचाने के लिए फतनपुर प्रतापगढ़ में लूट की झूठी योजना बनायी और योजना के तहत ट्रक चालक/वाहन स्वामी मो0 इरफान ने नींद की गोली का ओवर डोज ले लिया जिससे वह बेहोश हो गया। उक्त घटना की जानकारी होने पर दि0 28–07–2024 को थाना बरसठी, जनपद जौनपुर पर मु0अ0सं0 214/2024 धाराः 3/7 ई0सी0 एक्ट बनाम बंटी तिवारी पंजीकृत हुआ था। उक्त ट्रक में बची हुई गेहूँ की बोरी को कुलदीप सिंह एवं इम्तियाज उर्फ कल्लू, शमशाद व बृजेश उर्फ पिन्टू शर्मा द्वारा अपने पास रख लिया गया, जिसे थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा दि0 31–07–2024 को गेहूँ एवं ट्रक बरामद किया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में पता चला कि हम लोगों के विरूद्ध थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें मेरे बहनोई कुलदीप सिंह एवं उसके मित्र बंटी तिवारी गिरफ्तार हुए थे तथा इम्तियाज उर्फ कल्लू मा0 न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ था, जिसमें से बृजेश उर्फ पिन्टू शर्मा, शमशाद एवं मैं लुकछिप कर रहने लगे और आज कहीं बाहर भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0ः 135/2024 धारा 310(2), 317(2), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस मे दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।